न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

कन्हैया बनाम ~~[illegible]~~ कजोड़

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 18 / 2025

18.02.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खाता संख्या 149 आराजी खसरा संख्या 1653 / 1.35 हैक्टेयर वाके ग्राम भानगढ़ तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात का विधिवत रूप से तकसीम होने तक स्वयं के हिस्से की आराजी को दीगर शख्सों को किसी भी प्रकार कसे मुंतकिल का दस्तावेज पंजीबद्व न करें। ना करावे, ना ही प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करते हुए कोई निर्माण कार्य करें। अन्त में वकील वादी ने मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया गया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण बिना विधिवत तकसीम हुए ही उक्त आरजीयात को दीगर शख्स को मुंतकिल कर मुंतकिली का दस्तावेज पंजीबद्व कराने की फिराक में है अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। <u>अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि *आराजी हाल खाता संख्या 149 आराजी खसरा संख्या 1653/1.35 हैक्टेयर वाके ग्राम भानगढ तहसील टहला जिला अलवर में* आगामी आदेशों तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। उक्त आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी रहेगे।</u> अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 26.03.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

Sd/-

उपखण्ड अधिकारी राजगढ

जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

26/3/25 पत्रावली दफ्तरी पेशी से पेश। वकील प्रार्थी द्वारा Not Press कर प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहने बाबत निवेदन किया अतः प्रकरण प्रार्थी वकील के निवेदन पर Not Press में खारिज की जाती है। पत्रावली बाद पूर्ति नम्बर के दाखिल दफ्तर [illegible] हो।

Sd/-

पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं

Not Pressing

Sd/-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़